<u>न्यायालय :— विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट, पन्ना म.प्र.</u>

<u>**बी0ए0—244/2026**</u>

मुबारक हाफिज उर्फ शेख मुबारक कुरैशी पिता शेख हफीज उम्र—35 वर्ष, निवासी रामनगरी मोहल्ला वार्ड कमांक—5 रहली थाना रहली जिला सागर हाल निवासी मदरसा टिकुरिया मोहल्ला पन्ना थाना कोतवाली पन्ना जिला पन्ना म.प्र.	आवेदक
विरूद्ध	
म0 प्र0 राज्य द्वारा थाना, कोतवाली पन्ना जिला पन्ना।	अभियोजन
थाना :— कोतवाली जिला पन्ना का अपराध कं. 572/2026 धारा—74(2), 127(2)बी0एन0एस0, धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट,	

18-08-2026 आवेदक/अभियुक्त शेख मुबारक कुरैशी द्वारा श्री जे0के0राव अधिवक्ता उपस्थित।

राज्य द्वारा श्री सुनील द्विवेदी अतिरिक्त लोक अभियोजक उपस्थित।

पीड़िता अपने पिता एवं बुआ सहित उपस्थित।

थाना कोतवाली पन्ना से अपराध कं. 572/2026 अंतर्गत धारा—74, 127(2),बी0एन0एस0, धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट की केस डायरी मय प्रतिवेदन पेश।

निष्पादन लिपिक द्वारा रिमांड पत्रावली प्रस्तुत की गई।

प्रकरण जमानत आवेदन पर तर्क हेतु नियत है।

जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 483 बीएनएसएस पर उभयपक्ष को सुना गया।

माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश के **एमसीआरसी नंबर 8227/2023 दीपक विरूद्ध म.प्र. राज्य** में पारित आदेश दिनांक 01.04.2023 के पालन में अभिलेख पर प्रकट तथ्यों के आधार पर जमानत आवेदन के संबंध में आवश्यक विवरण निम्नानुसार हैः—

प्रथम नियमित जमानत	244/2026

आवेदन पत्र कमांक–	
जमानत आवेदन संस्थित दिनांक	13.08.2026
अपराध की दिनांक	31.07.2026
अपराध कमांक	572/2026
अंतर्गत धारा	74,127(2),बी0एन0एस0, धारा, 7/8 पॉक्सो एक्ट,
प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक	31.07.2026
पुलिस आरक्षी केन्द्र	कोतवाली पन्ना
गिरफ्तारी दिनांक	01.08.2026
न्यायिक अभिरक्षा	01.08.2026 से लगातार
अनुसंधान की स्थिति	अपूर्ण
अभियोगपत्र प्रस्तुति दिनांक	निरंक
अभियोग पत्र कमांक	निरंक
आपराधिक रिकॉर्ड	निरंक

केस डायरी के अवलोकन से प्रकट है कि आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध थाना कोतवाली पन्ना में दिनांक 31.07.2026 को अंतर्गत धारा–74,127(2), धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट, के तहत अपराध क. 572/2026 पंजीबद्ध की गई थी। आवेदक/अभियुक्त को दिनांक 01.08.2026 को गिरफ्तारी पत्रक अनुसार गिरफ्तार कर अभिरक्षा में भेजा गया।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से कोतवाली पन्ना जिला पन्ना के अपराध कमांक 572/2026, में नियमित जमानत पर रिहा किए जाने बाबत् वर्तमान आवेदन प्रस्तुत किया गया है। आवेदन के समर्थन में

आवेदकअभियुक्त की ओर से श्री शेख महबूब पिता शेख हफीज उम्र–32 वर्ष, ने शपथ पत्र प्रस्तुत किया जिसने आरोपी को स्वयं का भाई होना बताया है। आवेदक/अभियुक्त का यह **प्रथम** जमानत आवेदन पत्र है, इस जमानत आवेदन पत्र के अलावा अन्य कोई जमानत आवेदन पत्र अन्य न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में विचाराधीन है, न ही निरस्त हुआ है।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक/अभियुक्त पूर्णतः निर्दोष है, उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। वह गिरफ्तारी दिनांक से जेल में निरूद्ध है। अभियुक्त टिकुरिया मोहल्ला स्थित मदरसा में पढ़ाने का काम करता है और वहीं पर किराये के कमरे में रहता है, वह 60 प्रतिशत विकलांग व्यक्ति है और पूर्ण रूप से खड़ा नहीं हो सकता। आवेदक द्वारा नये इमाम को प्रभार देने के कमेटी के निर्णय का विरोध करने के कारण, उसे झूठा फंसाया गया है। आरोपित अपराध मृत्युदण्ड या आजीवन कारावास से दण्डनीय नहीं है, वह रहली सागर का स्थाई निवासी है, जहां पर उसकी चल–अचल सम्पत्ति विद्यमान है जिससे जमानत उप. रांत उसके भागने या फरार होने की सम्भावना नहीं है, उसका कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। उप. रोक्त आधारों पर उचित जमानत एवं मुचलके पर नियमित जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण में पीड़िता, अपने पिता एवं बुआ सहित उपस्थित हुई है, पीड़िता, उसके पिता एवं बुआ द्वारा जमानत आवेदन–पत्र का विरोध किया गया है। पीड़िता के पिता द्वारा यह व्यक्त किया गया कि अभियुक्त ने पीड़िता को कमरे में बंद कर दिया था और किसी को न बताने के लिये भी पीड़िता से कहा था, जिससे पीड़िता डर गई थी। इसी प्रकार का कथन पीड़िता द्वारा भी किया गया और सभी ने जमानत आवेदन–पत्र निरस्त किये जाने का अनुरोध किया।

अपर लोक अभियोजक ने आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का मौखिक विरोध करते हुए जमानत निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

मामले की अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि पीड़िता वार्ड क्रमांक–1 टिकुरिया मोहल्ला पन्ना में रहती है और कांच मंदिर के पास स्थित पद्मावती विद्या हाई स्कूल टिकुरिया मोहल्ला पन्ना में कक्षा आठवीं में पढ़ती है। उसके घर के पास स्थित मदरसा में मोहल्ले के सभी बच्चे पढ़ने जाते हैं। मदरसे में सागर के रहने वाले मौलाना मुबारक हाफिज पढ़ाते हैं। दिनांक 31.07.2026 को दोपहर करीब 3.30 बजे स्कूल से आने के बाद पीड़िता घर के सामने भाई–बहनों के साथ लुका–छिपी का खेल, खेल रही थी, उसकी बारी आई तो सभी लोग छिपने लगे, तभी मदरसे के सामने खड़े मौलवी साहब ने उसे आवाज देकर बुलाया, उनके बुलाने पर वह मदरसे के कमरा के अंदर गई, उसके अंदर जाने के बाद मौलाना ने दरवाजा बंद कर लिया और मौलाना ने पीड़िता का दा. हिना हाथ पकड़ लिया, तब पीड़िता अपना हाथ छिटक कर पीछे हट गई, उसे मौलाना द्वारा हाथ का पकड़ा जाना अच्छा नहीं लगा, पीड़िता जब चिल्लाने वाली थी तो मौलाना साहब उससे कहने लगे, उसका कुछ नहीं होगा, अगर चिल्लाओगी तो तुम्हारे मम्मी–पापा के इज्जत पर बात आयेगी। इसके बाद पीड़िता डर गई, तभी बाहर से उसकी बुआ की आवाज आई तो मौलवी साहबने पीड़िता को पलंग के नीचे छिपाकर कहा कि आवाज नहीं निकालना और स्वयं दरवाजा खोलकर बाहर चले गये, बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। लगभग एक–डेढ़ घंटे बाद अजान के समय मदरसे का दरवाजा खुला तो सामने उसके पापा खड़े थे, जिन्हें देखकर वह उनसे लिपटकर रोने लगी, पीड़िता काफी डरी हुई थी, फिर पीड़िता के पिताजी उससे पूंछते रहे किन्तु डर के कारण वह उन्हें कुछ नहीं बता पाई। कुछ देर बाद बुआ के पूंछने पर उसने उन्हें पूरी घटना बताई और पीड़िता को मौलाना का छूना अच्छा नहीं

लगा और मौलाना ने उसे लगभग एक–डेढ़ घंटे तक कमरे में बंद रखा। इसके बाद पीड़िता ने अपने माता–पिता के साथ थाना कोतवाली पन्ना जाकर घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई जिसके आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध अपराध क्रमांक–572/2026 अंतर्गत धारा–74, 127(2) बी0एन0एस0 एवं धारा–7/8 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर अभियुक्त को दिनांक 01.08.2026 को गिरफ्तार किया गया और प्रकरण अनुसंधान में लिया गया।

उभयपक्ष को सुना गया।

केस डायरी का अवलोकन किया गया।

केस डायरी के अवलोकन से प्रथम दृष्टया दर्शित है कि पीड़िता जिसकी उम्र–12 वर्ष है, जिसे मदरसे के मौलाना मुबारक जो कि आरोपी है, उसने अवयस्क बच्ची को मदरसे के अंदर कमरे में बंद कर दिया और उसका हाथ पकड़कर लज्जा भंग करने का कार्य किया जाना प्रथम दृष्ट्या दर्शित हुआ है, इसके अतिरिक्त पीड़िता द्वारा मना करने पर उसे धमकी देना कि उसके माता–पिता की इज्जत पर बात आयेगी और उसे पलंग के नीचे छिपाकर दरवाजा बंद कर देने जैसे कार्य किये गये हैं, जो कि अवयस्क पीड़िता के साथ लज्जा भंग करने व उसे एक निश्चित स्थान पर परिरूद्ध कर देने का कार्य है, जो कि पीड़िता की आयु के अनुसार गम्भीर प्रकृति का अपराध है, क्योंकि अजान के समय मदरसे का दरवाजा खुलने पर पीड़िता को उसके पिता द्वारा पाया गया है, तब तक वह उस स्थान पर बंद रही है। इस प्रकार से भले ही आपराधिक धाराओं के अनुसार अपराध की सजा सात वर्ष से कम अवधि की है, किन्तु अवयस्क पीड़िता की आयु व उसके साथ किये जाने वाले आपराधिक कृत्य तथा जिस दौरान उसे मदरसे में बंद किया गया, उसकी मानसिक दशा का अनुमान लगा पाना सम्भव नहीं है और मौलाना द्वारा किया जाने वाला कृत्य उसकी मानसिक स्थिति को प्रकट करता है जो अवयस्क पीड़िता को बंद करके लज्जा भंग करने की स्थिति को प्रथम दृष्ट्या प्रकट करता है तथा मौलाना जो कि मदरसे में

पढ़ाने का कार्य करते हैं, उनके द्वारा इस प्रकार का कृत्य किया जाना यह भी प्रकट करता है कि जानबूझकर ऐसे कार्य किये गये हैं, जो कि एक शिक्षक के कर्तव्यों के विपरीत है। अभिलेख पर जो तथ्य दर्शित हैं, और जो अपराध कारित किया जाना प्रथम दृष्ट्या बताया गया है, उसको दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्त को जमानत का लाभ प्राप्त करने का अधिक. ारी होना दर्शित नहीं होता है।

अतः आवेदक/अभियुक्त मुबारक हाफिज उर्फ शेख मुबारक कुरैशी की ओर से प्रस्तुत **प्रथम** नियमित जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता निरस्त किया जाता है।

आदेश की सत्यप्रतिलिपि सहित केस डायरी वापस हो।

आदेश की एक प्रति रिमांड पत्रावली से संलग्न की जावे।

प्रकरण का परिणाम संबंधित पंजी में दर्ज किया जाकर अभिलेख, अभिलेखागार में नियत अवधि में जमा हो।

(अरविन्द कुमार शर्मा)
विशेष न्यायाधीश
पॉक्सो एक्ट जिला पन्ना, म.प्र.

ARVIND KUMAR SHARMA
Digitally signed by ARVIND KUMAR SHARMA
Date: 2026.08.18 16:14:01 +0530